कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग)

क्रमांक / 1205 / भू.अ.लि / 2017 रायगढ़ दिनांक 21-09-2017

प्रति,

अपर प्रधान
मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध / व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– घरघोड़ा–लैलूंगा रोड (22.690 कि.मी.) चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण कार्य हेतु वन सरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत, 7.990 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत फॉर्म–1 एवं प्रदर्श 'स' में जानकारी भेजने बाबत् ।

संदर्भ :– परियोजना प्रबंधक छ.ग. सड़क विकास निगम रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 807 / छ.ग.स.वि.नि. / 2017 रायपुर, दिनांक 25.03.2017

––––00––––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र के अनुसार घरघोड़ा–लैलूंगा रोड (22.690 कि.मी.) चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम आमापाली, राजाआमा एवं फूलीकूण्डा तहसील लैलूंगा जिला रायगढ़ के आरक्षित वन भूमि 3.801 हे. एवं संरक्षित वन भूमि 4.189 हे. कुल 7.990 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण–पत्र चाही गई है।

अतः उपरोक्तानुसार संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लैलूंगा से प्राप्त जानकारी के आधार पर घरघोड़ा–लैलूंगा रोड (22.690 कि.मी.) चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण कार्य के लिए कुल 7.990 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निर्धारित प्रारूप प्रदर्श 'स' एवं फार्म–1 में जानकारी तैयार कर आपकी ओर भेजी जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1205 ए / भू.अ.लि / 2017 रायगढ़ दिनांक 21-09-2017

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धरमजयगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परियोजना प्रबंधक छ.ग. सड़क विकास निगम रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

परियोजना प्रबंधक छ.ग. सडक विकास निगम लि. रायपुर को घरघोड़ा–लैलूंगा रोड (22.690 कि.मी.) के चौडीकरण/उन्नयनीकरण हेतु जिला रायगढ़ में धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत आमापाली, राजाआमा एवं फूलीकूण्डा ग्राम के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 7.990 हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लैलूंगा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि :–

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र घरघोड़ा–लैलूंगा रोड (22.690 कि.मी.) की वन भूमि (आरक्षित–3.801 हे./सरंक्षित–4.189 हे.) का कुल रकबा 7.990 हे. जो इस कार्य के लिए व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम आमापाली, राजाआमा एवं फूलीकूण्डा तहसील लैलूंगा में स्थित है। तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही हैं।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)
1	2	3	4
1	आमापाली	निरंक	निरंक
2	राजाआमा	निरंक	निरंक
3	फूलीकूण्डा	निरंक	निरंक

2– लिनियर प्रकरण होने से ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं है।

3– संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे विलुप्त जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है। जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत" वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (E) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4– संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

(श्रीमती शम्मी आबिदी)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष– जिला वन अधिकार समिति
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)